

The Uttaranchal (Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) Amendment Act, 2002

Act 13 of 2002

Keyword(s): Municipal Election, Candidate, Affidavit

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विघायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2002 ई0 अग्रहायण 30, 1924 शक सम्वत

उत्तरांचल शासन

विघायी एवं संसदीय कार्य विमाग

संख्या 455/विघायी एवं संसदीय कार्य/2002 देहरादून, 21 दिसम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"मारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान समा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 को दिनांक 21–12–2002 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 13, सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2002

(अधिनियम संख्या 13, सन् 2002)

अधिनियम

- (i) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन)
 अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।
- 1-संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

- (ii) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू-होगा।
- (ह) यह तत्काल प्रमाव से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

 उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916, की घारा 9(1)(क) का संशोधन धारा 9(1)(क)का संशोधन उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 9(1)(क) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी :--

निर्वाचित सदस्य, जिनकी संख्या 4 से कम और 45 से अधिक नहीं होगी, जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट मे अधिसूचना द्वारा विर्निदिष्ट करें ;

3. धारा 9--क का संशोधन मूल अधिनियम की घारा 9-क के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "सत्ताईस" के स्थान पर शब्द "चौदह" रख-दिया जायेगा ;

मूल अधिनियम की धारा 13-ख में निम्नलिखित उपधारा (3) बढ़ा दी जायेगी -

4.धारा 13—ख का संशोधन "(3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्टभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाएं जैसा आवश्यक समझे, का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड (ग) तथा (ड) की सूचनाओं को छोड़कर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा —

(क) क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामलें में बोषी पाया गया है ? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ है ?, या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से

दण्डित किया गया है ?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लिम्बत मामले में अभियुक्त रहा है जिसमें दो वर्ष या अधिक की संजा हो सकती है, एवं मामले में आरोप निर्धारित हो चुके हो या न्यायालय ने संज्ञान में लिया हो? का विवरण ;

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैक बैलेंस

आदि से सम्बन्धित पूर्ण सूचना ;

(घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण ;

(ड) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक / वार्षिक आय का पूर्ण विवरण ;

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित ;

(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण ;

(ज) उसकी आयंकर तथा भूमि – भवनकर, प्रक्षेपकर / शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवण, और

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण ;

5. धारा 13. ग का संशोधन मूल अधिनियम की धारा 13-ग में निम्नलिखित उपधारा (घ) बढ़ा दी जायेगी :-"(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिये अभ्यर्थी न हो ।"

6. धारा 13[,] घ का संशोधन मूल अधिनियम की धारा 13—घघ, के बाद उपधारा—ड 13—घ (छ) के बाद उपधारा (ज) तथा 13—घ(ट) के बाद उपधारा (ठ) (ड) (ड़) (ण) तथा (त) निम्नवत् बढ़ा दिये जायेंगे :—

''(इ) ''उसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात हुआ है ;'' या

(ज) "महिला के विरूद्ध किसी अगन्छ वन दोष सिद्ध ठहराया गया है ;" या

- "(ठ) किसी ऐसे समाचार--पत्र में, जिसमें नगरपालिका के कार्यकलायों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा संकता है, अंश या हित रखंता है ;"या
- "(ड) किसी ऐसी संस्था जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैतनिक कर्मचारी है ;" या
- '(ढ़) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगर पालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, जाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है य " या
- "(ण) नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है य " या
- ''(त) नगरपालिका के अधिनियम, नियम, उपविधिया, विनियम, शासनादेश का उल्लंघन करने, नगर पालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्व दोषी ठहराया गया हो''

मूल अधिनियम की धारा 13—घ के बाद निम्नलिखित धारा 13—च पुनःस्थापित कर दी जायेगी :—

" मतदान की रीति" — किसी वार्ड के प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान लिया जाये, मत गूढ़ शलाका या वोंटिंग मशीन द्वारा दिये जायेगें तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान द्वारा नहीं लिया जायेगा :"

7.धारा 13 च का पुर: स्थापन

मूल अधिनियम की धारा 43–कक की उपधारा (2)(क) में उपधारा "(ट)" के बाद उपधारा 13 घ के बाद उपधारा (ठ)(ड)(ण) तथा (त) रख दिये जायेगें ।

 धारा
 कक का संशोधन

निरसन और अपवाद

- 9—(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916) (संशोधन) अध्यादेश 2002 एतदद्वारा निरसित किया जाता है ।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के उपबन्धों के अधीन कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत थे।

उत्तरांचल अध्यादेश सं–3 सन् 2002

आज्ञा से, (यू० सी० ध्यानी) अपर सचिव। No. 455/Vidhayee and Sansadiya Karya/2002 Dated Dehradun, December 21, 2002

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Amendment) Act, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 13 of 2002).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented by the Governor on December 21, 2002.

THE UTTARANCHAL (UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916)
(AMENDMENT) ACT, 2002
(Act No. 13 of 2002)

AN

Act

to further amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 in it's application in Uttaranchal,

It is hereby enacted in the fifty third year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement

- (1) This Act may be called Uttaranchal (Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916) (Amendment) Act, 2002.
- (2) In extents to the whole of Uttaranchal
- (3) It shall be deemed to have come into force at once.

2. Amendment of Section 9-1 (A) of the Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam 1916

Section 9-(1)(A) of the Uttar Predesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916 (hereinafter reffered to as the "Principal Act") the following section shall be substituted, namely:-

The elected members, whose numbers shall be not less than 4 and not more then 45, as may be prescribed by the State Govt, and notified in the official Gazatte.

3. Amendment of the first proviso of Section 9-A The first proviso of Section 9-A of the Principal Act, the Word " fourteen" shall be substituted for the word "Twenty seven".

Amondment of Section 13-B

In section 13-B of the Principal Act, sub-section (3) shall be added:

- (3) State Election Commission shall obtain from all the candidates a declaration in the form of an affidavit containing the following information and any other information it deems necessary and shall, except information contained in clause (c) and (e), publish the same in the major daily newspapers for the information of the electorate.
 - (a) Whether the candidate has been convicted/acquitted/discharged of any criminal offence in the past and, if convicted, whether he was punished with imprisonment or fine?

Prior to six months of filing of nomination, whether the candidate is (b) accused in any pending case, of any offence punishable with imprisonment for two years or more, and in which charge is framed or cognizance is taken by the Court of law. If so, the details thereof.

The assets (immovable, movable, bank balances etc.) of a candidate and (c) of his/her spouse and, that of dependants.

- Liabilities, if any, particularly whether there are any over dues of any (d) public Financial Institutions or Government dues.
- His/her source of income and full details of present Monthly/Annual (e) Income.
- Whether he/she is married/unmarried. (f)
- Number of Children, their ages, and their educational expenses. (g)
- Details of his/her income tax; house tax; projections tax/fees payable (h) annually.
- The educational qualifications of candidate. (i)

After section 13-C of the Principal Act a new subsection (d) shall be inserted:

of a new sub-sectio. i3-C(d)

He is not a candidate from more than one ward. (d)

After section 13-D(d), sub-section(e), 13-D(g) sub-section(h), and 13-D(k) subsection(i),(m)(n)(o) and (p) in the Principal Act, shall be added:

f.Insertion of a new subsection

(l)(m)(n)

(o) and (p)

- He has more than two living children of whom one is born after expiry of 300 13-D(e)(h) (e) days from the date of notification of this part; or,
- has been convicted of any offence against a woman or. (h)
- (1) has an interest or share, in a publication where in advertisement regarding activities of the municipalities can be published or,
- is a paid employee of any institution, receiving financial aid from the (m)municipalities or.
- the person or any member of his/her family or his/her legal heir is in (n) unauthorized occupation of any land or building owned or managed by the municipality/ Government or a public road or pavement, canal, drain, or is a beneficiary of such unauthorized occupation; or,
- **(0)** is a representative or office bearer of any federation or union of any cadre or class of employees of the municipality; or
- (p) has been convicted of any offence involving violation of any Act, Rules, Subrules, regulations and Govt. orders relating to Municipality and has been found guilty or working against the interest of the municipality.

7. Insertion of Section 13-F

After section-13-E of the Principal Act a new section 13-F shall be inserted: Procedure of voting: Wherever an election takes place in any ward, voting shall be either through secret ballot or voting machine and there shall be no proxy voting.

8.Amend ment of section-43 In sub-section (2)(a) of section 43-AA of the Principal Act after sub-section (b) of section 13-D, sub-section (i),(n),(o),(p), shall be added.

- Repeal and savings
- (1) The Uttaranchal (Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916) (Amendment) ordinance-2002 is here by repealed.
- (2) Not withstanding such repeal, anything done or any action taken under the corresponding provisions of the Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916 as amended by the ordinance referred to in sub-section(1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Uttar Pradesh Nagar Palika Adhiniyam, 1916 as amended by this Act, as if the provisions of this Act were inforce at all Material times.

Uttaranchal Ordinance no. 3 of 2002

By Order,

(U. C. DHYANI) Addi. Secretary.